निक्षेप एवं निक्षेपगृहीता के तीसरे पक्ष के विरूद्ध अधिकार (Rights of Bailor and Bailee against Parties)

(i) यदि कोई तीसरा पक्ष निक्षेपगृहीता को निक्षेपित माल रखने या उपयोग करने से अनुचित रूप से रोकता है या माल को हानि पहुँचाता है तो निक्षेपगृहीता ऐसे व्यक्ति के विरूद्ध वह सारी कार्यवाही करने का अधिकारी होता है जो माल का वास्तविक स्वामी कर सकता है।

(ii) निक्षेपी या निक्षेपगृहीता, दोनों में से कोई भी ऐसे व्यक्ति के विरूद्ध मुकदमा करके मुआवजा प्राप्त कर सकता है। इस प्रकार मुआवजे के रूप में जो भी रकम प्राप्त हो, उसे वे दोनों अपने हितों के अनुपात में बाँटेंगे।

(iii) यदि निक्षेप के अलावा कोई अन्य व्यक्ति निक्षेपित माल का स्वामी होने का दावा करता है तो भी निक्षेपगृहीता निक्षेपी को ही माल लौटा सकता है, वह माल के वास्तविक स्वामी के प्रति हेर-फेर (Conversion) के लिए

Scanned with CamScanner

उत्तरदायी नहीं होगा। किन्तु ऐसा व्यक्ति न्यायालय में प्रार्थना-पत्र देकर, निक्षेपित माल वापस किए जाने पर तब तक रोक लगवा सकता है जब तक कि उसके स्वामित्व का फैसला न हो जाये।

5.9 खोई हुई वस्तु पाने वाले की स्थिति (Position to the Finder to loose goods)

यदि किसी व्यक्ति को कोई वस्तु पड़ी हुई मिलती है तो वह उसे उठाने के लिए बाध्य नहीं है, किन्तु अगर वह उस वस्तु को उठाकर अपने कब्जे में कर लेता है तब उसकी स्थिति एक निक्षेपगृहीता के समान ही होती है। अतः उसके अधिकार एवं कर्त्तव्य भी निक्षेपगृहीता के समान ही होता है जो निम्नलिखित हैं-

कर्त्तव्य (Duties) - खोई हुई वस्तु पाने वाले का यह कर्त्तव्य है कि वह वस्तु के वास्तविक स्वामी को ढूँढने का यथासम्भव प्रयास करें। किन्तु जब वास्तविक स्वामी का पता नहीं चलता तो उसे उन सब कर्त्तव्यों का पालन करना पड़ता है जो कानून द्वारा एक निक्षेपगृहीता के लिए निर्धारित किये गये हैं, जैसे- पायी हुई वस्तु की उचित देखभाल करना, उसका अनाधिकृत उपयोग न करना, उसे अपने माल के साथ न मिलाना, वास्तविक स्वामी का पता लगाने पर उसे वस्तु (वृद्धि सहित) लौटा देना इत्यादि।

अधिकार (Right) - खोई हुई वस्तु पाने वाले को अनुबन्ध अधिनियम के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिकार दिये गये है

(i) वस्तु को सुरक्षित रखने तथा वास्तविक स्वामी को ढूँढ़ने में किए गए खर्च एवं कष्ट का मुआवजा प्राप्त करने का अधिकार।

(ii) उपरोक्त मुआवजे के लिए अधिकार

(iii) वस्तु के स्वामी द्वारा घोषित किया गया इनाम पाने व उसके लिए दावा करने का अधिकार,

(iv) विशिष्ट परिस्थितियों में वस्तु को बेचने का अधिकार।

5.10 निक्षेप की समाप्ति (Termination of Contract)

निम्नलिखित परिस्थितियों में निक्षेप का अनुबन्ध समाप्त हो जाता है-

(i) यदि निक्षेप एक निश्चित अवधि के लिए किया गया है, तो उस अवधि के समाप्त होने पर निक्षेप का अनुबन्ध समाप्त हो जाता है।

(ii) जब वह उद्देश्य, जिसके लिए निक्षेप किया गया था, पूरा हो जाता है तब निक्षेप का अनुबन्ध समाप्त हो जाता है।

(iii) यदि निक्षेपगृहीता निक्षेपित माल के सम्बन्ध में कोई ऐसा कार्य करता है जो निक्षेप की शर्तों के विरूद्ध है, तो निक्षेपी निक्षेप के अनुबन्ध समाप्त कर सकता है।

(iv) निःशुल्क निक्षेप की स्थिति में निक्षेपी कभी भी निक्षेपित वस्तु वापस माँगकर अनुबन्ध समाप्त कर सकता है, भले ही निक्षेप किसी निर्दिष्ट अवधि, प्रयोजन के लिए किया गया है।

(v) यदि निक्षेप अथवा निक्षेपगृहीता में से किसी की भी मृत्यु हो जाती है तो निःशुल्क निक्षेप समाप्त हो जाता है।

ग्रहणाधिकार अथवा पूर्वाधिकार (Lien)

पूर्वाधिकार दो प्रकार का होता है, जो निम्नलिखित है-

Scanned with CamScanner

(क) विशिष्ट पूर्वाधिकार (Particular lien) - किसी अन्य व्यक्ति के माल को अपने पास तब तक रोके रखने का अधिकार है जब तक कि उसे माल के सम्बन्ध में किया गया व्यय या परिश्रमिक न मिल जाये, विशिष्ट पूर्वाधिकार कहलाता है।

धारा 170 के अनुसार जब निक्षेपगृहीता ने निक्षेप के उद्देश्य के अनुसार निक्षेपित वस्तु के सम्बन्ध में कोई ऐसी सेवा प्रदान की है, जिसमें श्रम तथा कौशल का उपयोग हुआ है, तो किसी विपरीत अनुबन्ध के अभाव में, वह उस वस्तु को तब तक अपने पास रोक रख सकता है, जब तक कि उसे सेवा का उचित पारिश्रमिक नहीं मिल जाता। यह निक्षेपगृहीता का एक व्यक्तिगत अधिकार है जो तब तक ही बना रहता है जब तक कि माल उसके कब्जे में रहता है।

(ख) सामान्य पूर्वाधिकार (General Lien) - जब एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति के किसी भी माल को जो उसके कब्जे में है, उस समय तक रोके रखने का अधिकार प्राप्त हो जब तक कि उनका आपसी हिसाब चुकता न हो जाये, तो इसे सामान्य पूर्वाधिकार कहते हैं। सामान्य पूर्वाधिकार के अन्तर्गत एक पक्ष दूसरे पक्ष की ऐसी भी वस्तु को रोक सकता है जो निक्षेपगृहीता को उसके साधारण व्यवसाय के सम्बन्ध में निक्षेपित की गई हो।

पूर्वाधिकार की समाप्ति (Termination of Lien) - निम्नलिखित परिस्थितियों में पूर्वाधिकार समाप्त हो जाता है-

(i) निक्षेपगृहीता द्वारा पूर्वाधिकार का परित्याग किये जाने पर,

(ii) देय राशि का भुगतान हो जाने पर अथवा

(iii) माल का कब्जा खो देने पर।

5.13 गिरवी का अनुबंध (Contract of Pledge)

साधारणतः जब भी कोई व्यक्ति किसी से ऋण माँगता है तो वह उसे कोई मूल्यवान वस्तु जमानत के रूप में रखने के लिए कहता है ताकि अगर ऋण का भुगतान न हो तो वह उस वस्तु को बेचकर अपनी रकम वसूल कर सके। जब इस प्रकार कोई वस्तु निक्षेप की जाती है तो उसे गिरवी रखना कहा जाता है। धारा 172 के अनुसार, "जब किसी ऋण के भुगतान या वचन के निष्पादन के लिए जमानत के रूप में कोई वस्तु निक्षेप की जाती है, तो इसे गिरवी कहते है। इस प्रकार माल की जमानत के रूप में रखने वाले को 'गिरवी रख लेने वाला' (Pawnee) कहा जाता है। जैसे-A अपना कुछ आभूषण B के पास रखकर 5000 रुपया ऋण लेता है। आभूषण को यह निक्षेप 'गिरवी अनुबन्ध' कहा जायेगा। इसमें A (pawnor) एवं B (Pawnee) है।

गिरवी अनुबन्ध के आवश्यक तत्त्व (Essentials of valid pledge) -

गिरवी एक प्रकार का निक्षेप अनुबन्ध ही है। अतः इसमें एक निक्षेप अनुबन्ध के सभी तत्त्वों के अलावे निम्नलिखित तत्त्व होना चाहिए-

(i) केवल ऐसी वस्तुओं को ही गिरवी रखा जा सकता है जो विक्रय योग्य होती है। यह इसलिए जरूरी है कि अगर कर्त्ता (pawnor) अपने वचन का पालन न कर पाये तो गिरवी ग्राही (pawnee) उस वस्तु को बेचकर अपनी रकम वसूल कर सके।

(ii) मुद्रा (Money) को गिरवी नहीं रखा जा सकता।

(iii) यदि कोई माल किसी तीसरे व्यक्ति के कब्जे में हो और वह, गिरवीकर्त्ता के आदेशानुसार, इस माल को गिरवीग्राही के लिए रखे रहना स्वीकार करता है तो इसे भी वैध सुपुर्दगी माना जाता है।

Scanned with CamScanner

(iv) माल का गिरवी अनुबन्ध हो जाने के बाद यदि किसी विशेष प्रयोजन के लिए माल गिरवीकर्त्ता के पास ही रहने दिया जाता है तो इससे गिरवी की वैधता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता।

(v) गिरवीकर्त्ता के पास गिरवी रखे जाने वाले माल का कब्जा होना ही काफी नहीं, बल्कि उस माल पर उसका न्यायिक अधिकार भी होना चाहिए, अन्यथा उसके द्वारा निक्षेपित माल वैध गिरवी नहीं माना जायेगा। किन्तु कुछ परिस्थितियों में ऐसा व्यक्ति भी माल को गिरवी रख सकता है जो कि उसका वास्तविक स्वामी नहीं है।

5.14 गिरवी एवं निक्षेप में अन्तर (Difference between pledge and Bailment)

गिरवी एक विशेष प्रकार का निक्षेप अनुबन्ध है और गिरवी तथा निक्षेप के मुख्य लक्षण भी एक जैसा ही हैं, फिर भी दोनों में निम्नलिखित मुख्य अन्तर है-

(1) निक्षेप में वस्तुएँ देख-भाल, निजी उपयोग, मरम्मत अथवा रूप परिवर्तन के लिए दी जाती है, परन्तु गिरवी की स्थिति में ये ऋण के भुगतान या वचन के निष्पादन के लिए जमानत रूप में दी जाती है।

(2) निक्षेप की स्थिति में सामान्यतः निक्षेप, निक्षेपित माल का उपयोग कर सकता है परन्तु गिरवीग्राही गिरवी रखे गये माल का उपयोग नहीं कर सकता।

(3) गिरवी की स्थिति में कई बार किसी विशेष प्रयोजन के लिए माल गिरवीकर्त्ता के पास ही रहने दिया जाता है, जबकि निक्षेप की स्थिति में निक्षेप का उद्देश्य पूरा होने तक माल निक्षेपगृहीता के कब्जे में रहता है।

(4) गिरवी की स्थिति में गिरवीकर्त्ता द्वारा भुगतान न किये जाने पर गिरवीग्राही उसे उचित सूचना देकर माल की बिक्री कर सकता है। परन्तु निक्षेप की स्थिति में निक्षेपगृहीता को माल पर केवल पूर्वाधिकार प्राप्त होता है, साधारणतः उसे माल की बिक्री का अधिकार नहीं होता।

Scanned with CamScanner